अप 201

न्यायालय – श्रीमान् सचिव महोदय, राजस्व विभाग ग्वालियर (म.प्र.)

अपील/सागर/भू.रा/2018/0993

मर्दन सींग बल्द हरप्रसाद सींग ठाकुर, उम्र 68 वर्ष

निवासी – ग्राम जरूआखेड़ा मुड़रा तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

.... अपीलार्थी

//विरूद्ध//

1) **देवेन्द्र कुमार जैन** बल्द लख्मीचंद जैन
2) **अजय सिंह** बल्द आनंद सींग ठाकुर
3) **राकेश कुमार गुप्ता** बल्द दयाराम गुप्ता
   सभी निवासी – ग्राम मूड़रा जरूआखेड़ा, तहसील व जिला सागर (म.प्र.)
4) **महेन्द्र कुमार** बल्द तोड़रमल ओसवाल
   निवासी – चांदामऊ जरूआखेड़ा, तहसील व जिला सागर (म.प्र.)
5) **रामसींग यादव** बल्द विन्द्रावन यादव
   निवासी – ग्राम हिनौता पारीक्षित,
6) **कृष्णकांत पाठक** बल्द रामेश्वर प्रसाद पाठक
   निवासी – जरूआखेड़ा
7) **सुरेन्द्र तिवारी** बल्द कामता प्रसाद तिवारी
   निवासी – ग्राम बांदरी, तहसील खुरई, जिला सागर (म.प्र.)
8) **गुलाब सिंह** बल्द वीरसिंह राजपूत
   निवासी – ग्राम जेरई, नरयावली तहसील व जिला सागर (म.प्र.)
9) **हरदास कुर्मी** बल्द श्यामलाल कुर्मी
   निवासी – गोपालगंज, सागर
10) **जय हिंद राजपूत** बल्द गनपत सिंह राजपूत
    ग्राम मूड़रा जरूआखेड़ा
11) **डॉक्टर सत्यजीत सिंह** बल्द अजब सिंह
    निवासी – बीना
12) **सरपंच** ग्राम पंचायत जरूआखेड़ा,
13) **जनपद सदस्य**, जनपद क्षेत्र जरूआखेड़ा
14) **जनपद अध्यक्ष**, जनपद पंचायत राहतगढ़
15) **डिप्टी रेंजर**, वन परिक्षेत्र जरूआखेड़ा
16) **थाना प्रभारी, नरयावली**
17) **विधायक नरयावली** विधानसभा क्षेत्र नरयावली
18) **विधायक विधानसभा क्षेत्र सुरखी**
19) **विधायक विधानसभी क्षेत्र खुरई**
20) **रेलपथ निरीक्षक**, जरूआखेड़ा
21) **सांसद लोकसभा क्षेत्र**, सागर
22) **मध्य प्रदेश शासन**

.... प्रतिअपीलार्थीगण

क्रमशः 2

(46)

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/सागर/भू.रा./2018/993 मर्दन विरूद्ध देवेन्द्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सागर के प्रकरण क्रमांक 13बी/113 वर्ष 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 31-10-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 18-12-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होंने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि	
4.1.19		

लेकर कलेक्टर सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन)
सदस्य